कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकता प्राधिकारी
जनपद – आगरा।

संख्या : 376/अधि0सू0/स0सु0/2020 दिनांक 24.09.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 112 के अर्न्तगत वाहनों की गति सीमा का उल्लेख किया गया है, जिसके अन्तर्गत उपरोक्त धारा की उपधारा 2 में गति निबन्धन के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं, उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकृत अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकाय की अधिकारिता को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा 01 के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा को जनहित में उपर्युक्त के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मैं अनिल कुमार सिंह, पंजीयन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आगरा, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे एवं यमुना एक्सप्रेस–वे पर **आगरा जनपद की सीमा हेतु** निम्न तालिकानुसार **अधिकतम गति सीमा** निर्धारित करता हूँ।

क्र.सं.	मोटरयान का वर्ग	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर UPEIDA द्वारा संस्तुति की गयी गति सीमा	यमुना एक्सप्रेस–वे पर YEDA द्वारा संस्तुति की गयी गति सीमा
1	2	3	4
1	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त **आठ सीटों** से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है। **(एम 1 प्रवर्ग यान)**	**100**	**100**
2	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त **नौ या अधिक सीटों** के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है। **(एम 2 और एम 3 प्रवर्ग यान)**	**80**	**60**
3	ऐस मोटरयान, जिनका उपयोग **माल के वहन** के लिए किया जाता है **(सभी एन प्रवर्ग यान)**	**80**	**60**
4	मोटर साइकिल	**80**	**60**

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) आगरा

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा।

संख्या : 376 /सा0प्र0/स0सु0/2020 दिनांक 24.09.2020

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. कार्यकारी अधिकारी, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा।
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) आगरा।
6. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
7. सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने जनपद के जनप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में जनहित में न्यूनतम मूल्य पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना को आगामी गजट में प्रकाशित करने तथा गजट की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), आगरा।